राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

संचिका संख्या : SHSB/GA/HR/7564/2023

आदेश सं०: 6802 पटना, दिनांकः 10 / 02 / 2023

–:आदेश:–

विज्ञापन संख्या 10 / 2020 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के लिए **Accountant - SPMU** के संविदागत रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से एकमुश्त मानदेय रू० 22,500 / – प्रतिमाह पर नियोजित करते हुए उन्हें राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में पदस्थापित किया जाता है:–

क्र०	आवेदन संख्या	अभ्यर्थी का नाम	जन्मतिथि	चयनित कोटि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	ASP000689	PRANAV KUMAR	15-01-1995	UR
2	ASP001002	VATSALA	13-12-1995	UR
3	ASP000674	PRAMOD KUMAR	02-02-1992	MBC
4	ASP000692	MUKESH KUMAR	10-01-1994	MBC
5	ASP001023	ANJAN KUMAR MISHRA	03-02-1992	EWS
6	ASP001083	ARVIND KUMAR	20-02-1992	SC

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि :–

   i. **दिनांक 28 / 02 / 2023 तक** राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।

   ii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन / जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।

   iii. योगदान के पश्चात् रू० 1,000–1,000 / – (एक हजार रुपये) का दो (02) Non Judicial स्टाम्प पेपर पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के सक्षम पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करेंगे।

   iv. यदि सरकारी सेवा में हैं या किसी अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।

   v. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर सम्प्रति 11 (ग्यारह) माह के लिए होगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत RoP में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।

   vi. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

   vii. पदस्थापन स्थल पर योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

   viii. उक्त पदाधिकारियों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण–पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्वसूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

ix. सभी नवनियोजित Accountant - SPMU को एकमुश्त मानदेय रू० 22,500/– (बाईस हजार पाँच सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह का भुगतान राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार से किया जाएगा। मानदेय/प्रतिमाह FMR Code- HSS.9 के क्रमांक 185.2 के तहत विकलनीय होगा।

3. अपर निदेशक, वित्त, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, उनसे कार्य लेना प्रारंभ कर देंगे, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

इस आदेश में कुल 02 पृष्ठ हैं एवं सभी हस्ताक्षरित हैं।

ह०/–
(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक: SHSB/GA/HR/7564/2023/6802 *पटना, दिनांक: 10/02/2023*

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी/उप सचिव–सह–प्रभारी, मानव संसाधन/अपर निदेशक (वित्त)/वित्त प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य लेखा प्रबंधक/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (रोग नियंत्रण सहित)/सभी पदाधिकारी/कर्मी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट–सह–डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के अधिकृत वेबसाईट http://shs.bihar.gov.in/ पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org